न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 627/2024
अनवान : –

1. नरेश कुमार पुत्र लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. जय प्रकाश पुत्र लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. अशोक कुमार पुत्र लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. लादुराम पुत्र फुलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. बादो पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. सावत्री पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. सन्तो कौर पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
5. भागवन्ती पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
6. लक्ष्मी कौर पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
7. प्रितम पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
8. लाजवन्ती पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
9. राम मूर्ति पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 21/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 232/241 की कुल 7.8410 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व [illegible] भूमि शान्ति पत्नी फुलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:58:45 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 जो की [illegible] का पिता है एवं शान्ति जो की वादी की दादी के है नाम दर्ज है। वादी की दादी शान्ति पत्नी फुलाराम का

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

देहान्त हो चुका है। शान्ति पत्नी फुलाराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 है जो की वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 जो की वादीगण की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। जिसकी वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ललानाबास दिखनादा सम्वत 2071–74 खाता स0 232/241, मृत्यु प्रमाण शान्ति देवी व शपथ पत्र बाबत सदस्य पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 232/241 की कुल 7.8410 हैक्ट भूमि में से 3.795 हैक्ट के वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व शेष 4.046 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा शान्ति का नाम कलमजन किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी का पिता है एवं शान्ति जो की वादी की दादी के है नाम दर्ज [illegible] पत्नी फुलाराम का देहान्त हो चुका है। शान्ति पत्नी फुलाराम के जाय[illegible] संख्या 1 ता 9 है जो की वाद भूमि को अपने नाम दर्ज कर[illegible] है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 जो की वादीगण की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हक हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:58:45 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

नही लेना चाहती है प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 232/241 की कुल 7.8410 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 1/2 हिस्सा भूमि शान्ति पत्नी फुलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी का पिता है एवं शान्ति जो की वादी की दादी के है नाम दर्ज है। वादी की दादी शान्ति पत्नी फुलाराम का देहान्त हो चुका है। शान्ति पत्नी फुलाराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो की वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 जो की वादीगण की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक शानित के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 232/241 की कुल 7.8410 हैक्ट भूमि में से 3.795 हैक्ट भूमि में वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 4.0[illegible] हैक्ट भूमि [illegible] संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक [illegible] कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अ[illegible] प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:58:45 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21.10.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:58:45 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 627 / 2024

अनवान : –

1. नरेश कुमार पुत्र लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. जय प्रकाश पुत्र लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. अशोक कुमार पुत्र लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. लादुराम पुत्र फुलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. बादो पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
3. सावत्री पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. सन्तो कौर पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
5. भागवन्ती पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
6. लक्ष्मी कौर पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
7. प्रितम पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
8. लाजवन्ती पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
9. राम मूर्ति पुत्री लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 627 सन 2024 निर्णय दिनांक 21·10·2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 232 / 241 के ख0न0 8 / 1 की 7.8410 हैक्ट भूमि में से 3.795 हैक्ट भूमि में वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 4.046 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक शान्ति का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:58:45 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर